न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)
दावा संख्या :–88/2018
निर्णय दिनांकः– 11 .12.2019

उनवान

महेश बैरवा पि.मु. रूपा माता लाली जाति बैरवा निवासी फूटी बावडी मरमटों का मोहल्ला कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राज.

–वादी

बनाम

1. शिवप्रसाद पुत्र मूल्या जाति बैरवा निवासी फूटी बावडी मरमटों का मोहल्ला कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राज.
2. किशनलाल पुत्र मूल्या जाति बैरवा निवासी फूटी बावडी मरमटों का मोहल्ला कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राज.
3. भंवरलाल पुत्र मूल्या जाति बैरवा निवासी फूटी बावडी मरमटों का मोहल्ला कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राज.
4. मीरा पुत्री मूल्या जाति बैरवा निवासी फूटी बावडी मरमटों का मोहल्ला कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राज.
5. तहसीलदार निवाई

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राजात
एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री शंकरलाल चौधरी वकील वादी
श्री महेश शर्मा वकील प्रतिवादी सं. 1ता4

<u>निर्णय</u>

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि वादी कस्बा निवाई का गरीब अनुसूचित जाति का शान्तिप्रिय काश्तकार पेशा व्यक्ति है जो कृषि कार्य से अपने व अपने परिवार का जीवनयापन करता है। वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात ख.नं. 4748 रकबा 04–09 बीघा व ख.नं. 4762 रकबा 02–07 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 06–16 बीघा वाके ग्राम कस्बा निवाई में स्थित है। उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि है जो पूर्व में वादी व प्रतिवादीगण के बाबा मेदाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी उसके पश्चात् मेदाराम के दो पुत्र हुये जिनमें एक मूल्या व दूसरा रूपा था जिनमें से रूपा आज से करीब 30–32 वर्ष पूर्व ला–औलाद फोत हो गया तथा रूपा के हिस्से की भूमि उसकी बेवा लाली के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हो गई। वादी लाली के ही परिवार का व्यक्ति है तथा लाली बेवा रूपा ने अपने जीवनकाल में ही वादी की उम्र जब 6–7 वर्ष की थी तब वादी के औरस माता पिता(भंवरलाल प्रतिवादी संख्या 3) की सम्पूर्ण सहमति से वादी को गोद लेते हुये अपना दत्तक पुत्र स्वीकार कर लिया था और तब से वादी लाली बेवा रूपा का दत्तक पुत्र चला आ रहा है। जब लाली बेवा रूपा ने वादी को गोद लेकर दत्तक पुत्र स्वीकार किया था तब लाली बेवा रूपा ने सम्पूर्ण सामाजिक रीति रिवाजों का पालन करते हुये अपने परिवार के तथा रिश्तेदार लोगों की मौजूदगी में वादी को दत्तक पुत्र स्वीकार किया था। जब लाली बेवा रूपा की मृत्यु हुई तब वादी ने ही एक पुत्र के समान लाली बेवा रूपा को मुखाग्नि दी तथा उसके सम्पूर्ण अन्तिम कियाकम इत्यादि किये इस प्रकार वादी लाली बेवा रूपा का दत्तक पुत्र होने से उसकी समस्त चल अचल सम्पत्ति का वैध एवं विधिक उत्तराधिकारी है। अतः वाद वादी बहक प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर ख.नं. 4748 रकबा 04–09 बीघा व ख.नं. 4762 रकबा 02–07

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

Scanned by CamScanner

बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 06–16 बीघा वाके ग्राम कस्बा निवाई में वादी को 1/2 हक व हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाकर अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार से बाधा मजाहमत नहीं करें।

दावा पेश होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण 1ता की ओर से श्री महेश शर्मा एड. ने इकबाली जवाब–दावा मय वकालतनामा पेश किया कि इस्तदुआ स्वीकार है। वादी की ओर से pw1 महेश का शपथ पत्र पेश किया। वकील वादी द्वारा और साक्ष्य पेश करना नहीं करने पर साक्ष्य वादी बन्द की गई।

उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने वादपत्र का दोहरान करते हुये बहस में निवेदन किया कि वादी कस्बा निवाई का गरीब अनुसूचित जाति का शान्तिप्रिय काश्तकार पेशा व्यक्ति है जो कृषि कार्य से अपने व अपमे परिवार का जीवनयापन करता है। वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात ख.नं. 4748 रकबा 04–09 बीघा व ख.नं. 4762 रकबा 02–07 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 06–16 बीघा वाके ग्राम कस्बा निवाई में स्थित है। उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि है जो पूर्व में वादी व प्रतिवादीगण के बाबा मेदाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी उसके पश्चात् मेदाराम के दो पुत्र हुये जिनमें एक मूल्या व दूसरा रूपा था जिनमें से रूपा आज से करीब 30–32 वर्ष पूर्व ला–औलाद फोत हो गया तथा रूपा के हिस्से की भूमि उसकी बेवा लाली के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हो गई। वादी लाली के ही परिवार का व्यक्ति है तथा लाली बेवा रूपा ने अपने जीवनकाल में ही वादी की उम्र जब 6–7 वर्ष की थी तब वादी के औरस माता पिता(भंवरलाल प्रतिवादी संख्या 3) की सम्पूर्ण सहमति से वादी को गोद लेते हुये अपना दत्तक पुत्र स्वीकार कर लिया था और तब से वादी लाली बेवा रूपा का दत्तक पुत्र चला आ रहा है। जब लाली बेवा रूपा ने वादी को गोद लेकर दत्तक पुत्र स्वीकार किया था तब लाली बेवा रूपा ने सम्पूर्ण सामाजिक रीति रिवाजों का पालन करते हुये अपने परिवार के तथा रिश्तेदार लोगों की मौजूदगी में वादी को दत्तक पुत्र स्वीकार किया था। जब लाली बेवा रूपा की मृत्यु हुई तब वादी ने ही एक पुत्र के समान लाली बेवा रूपा को मुखाग्नि दी तथा उसके सम्पूर्ण अन्तिम कियाकम इत्यादि किये इस प्रकार वादी लाली बेवा रूपा का दत्तक पुत्र होने से उसकी समस्त चल अचल सम्पत्ति का वैध एवं विधिक उत्तराधिकारी है। अतः निवेदन है कि ख.नं. 4748 रकबा 04–09 बीघा व ख.नं. 4762 रकबा 02–07 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 06–16 बीघा वाके ग्राम कस्बा निवाई में वादी को 1/2 हक वं हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाकर अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार से बाधा मजाहमत नहीं करें। वकील प्रतिवादी ने बहस में निवेदन किया कि वादी की अधियाचना स्वीकार की जाकर अमल दरामद कर दिया जावे।

उभयपक्षों की बहस का मनन व सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन व प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार निवाई को आदेश दिया जाता है कि वादवर्णित भूमि ख.नं. 4748 रकबा 04–09 बीघा व ख.नं. 4762 रकबा 02–07 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 06–16 बीघा वाके ग्राम कस्बा निवाई में लाली बेवा रूपा के 1/2 हक व हिस्से के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार अमल दरामद करें। पर्चा डिकी जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

11/12

जे.पी.बैरवा
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस.)
निवाई (टोंक)

उपखण्ड अधिकारी निवाई

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

(डिक्री मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

महेश बैरवा पि.मु. रूपा माता लाली जाति बैरवा निवासी फूटी बावडी मरमटों का मोहल्ला कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राज.

–वादी

बनाम

1. शिवप्रसाद पुत्र मूल्या जाति बैरवा निवासी फूटी बावडी मरमटों का मोहल्ला कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राज.
2. किशनलाल पुत्र मूल्या जाति बैरवा निवासी फूटी बावडी मरमटों का मोहल्ला कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राज.
3. भंवरलाल पुत्र मूल्या जाति बैरवा निवासी फूटी बावडी मरमटों का मोहल्ला कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राज.
4. मीरा पुत्री मूल्या जाति बैरवा निवासी फूटी बावडी मरमटों का मोहल्ला कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राज.
5. तहसीलदार निवाई

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राजात
एवं स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा संख्याः– 88/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री जे.पी.बैरवा आर0ए0एस0 ब हाजरी शंकरलाल चौधरी वकील वादी व श्री महेश शर्मा वकील प्रतिवादी सं. 1ता4 मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार निवाई को आदेश दिया जाता है कि वादवर्णित भूमि ख.नं. 4748 रकबा 04–09 बीघा व ख.नं. 4762 रकबा 02–07 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 06–16 बीघा वाके ग्राम कस्बा निवाई में लाली बेवा रूपा के 1/2 हक व हिस्से के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार अमल दरामद करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 12 सन् 2019 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

Scanned by CamScanner